संख्या-116/2018/3917 ई-2/तेरह-2018-75/2012

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

विषय:-मै0 एस्ट्राल फ्लेवर प्रा0लि0, पंजीकृत कार्यालय-ई-117, ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "आउटर लिमिट", 2/7 अभिकर्म बिल्डिंग, सिविल लाईन, साकेत, मेरठ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1316/आबकारी/एस्ट्राल फ्लेवर रेस्टोरेन्ट/एफ0एल0-7/मेरठ, दिनांक 27-10-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 17-10-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-141/दस-लाइसेंस-60/एफ0एल0-6-7/ एस्ट्राल फ्लेवर प्रा0लि0/बार अनु0/मेरठ, दिनांक 30 नवम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मैसर्स एस्ट्राल फ्लेवर प्रा0लि0, पंजीकृत कार्यालय-ई-117, ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट "आउटर लिमिट", 2/7 अभिकर्म बिल्डिंग, सिविल लाईन, साकेत, मेरठ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जा सकता है कि उक्त होटल/बार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाय।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-116/2018/3917(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-141/दस-लाइसेंस-60/एफ0एल0-6-7/एस्ट्राल फ्लेवर प्रा0लि0/बार अनु0/मेरठ, दिनांक 30 नवम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।